

(1)

॥ प्रकृति: रक्षति रक्षित ॥

कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Email: dfomus-forest-uk@nic.in

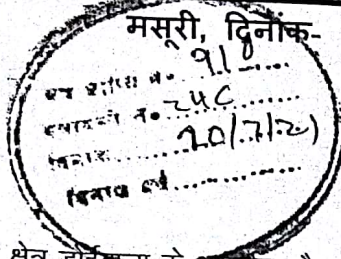
Phone/Fax-0135-2631765

पत्रांक- ११ / 12-1

मसूरी, दिनांक- ०५ / 07 / 2021

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०,
ऋषिकेश।



विषय :-

जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत सौड़ा-सरोली मुख्य मार्ग से सिरवालगढ़ गांव तक मार्ग निर्माण कार्य हेतु 0.2625 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में। (FP/UK/WATER/45386/2020)

सन्दर्भ :-

महोदय,

उत्तराखण्ड सरकार की पत्र संख्या-574/X-3-21/1(58)2021, दिनांक-04 जून, 2021।

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से विषयांकित प्रस्ताव में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी हैं। उक्त शासनादेश में उल्लेखित शर्त संख्या-1 के अनुपालन में प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-1459/3-5-2 P.O., दिनांक-01.07.2021 में उल्लिखित वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित दर के अनुसार धनराशि एवं शर्त संख्या-2 के अनुपालन में एन०पी०वी० की धनराशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र०सं०	मद	मात्रा	दर	देय धनराशि (रु०)
1	2	3	4	5
1.	प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव।	263 वृक्ष	1464.00 / वृक्ष	3,85,032.00
2.	एन०पी०वी० (ईको श्रेणी-V, घनत्व-0.1)	0.2625 हे०	6,57,000.00 / हे०	1,72,463.00
योग :-				5,57,495.00
₹ 5,57,495.00 (पांच लाख सतावन हजार चार सौ पचास रुपये मात्र)				

अतः उक्तानुसार देय धनराशि का भुगतान करते हुए प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या मय संलग्नकों सहित ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड करते हुए संगत दस्तावेजों के तीन प्रतियों में अग्रेतर कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(कहकशां नसीम)

उप वन संरक्षक

संख्या:- /12-1 तददिनांकित

प्रतिलिपि :- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

उत्तराखण्ड सरकार

18/7/2021

(कहकशां नसीम)

उप वन संरक्षक,

उत्तराखण्ड सरकार

18/7/2021